

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक आवेदन (एकल पीठ) संख्या 1411

थाना काण्ड संख्या -154 वर्ष 2010 थाना-चांडी जिला-भोजपुर से उत्पन्न

समहुत शर्मा पिता- स्वर्गीय साहब शर्मा ग्राम-पीरो, गांधी चौक, थाना पिरो,
जिला- भोजपुर।

..... अपीलार्थी

बनाम

1. बिहार राज्य
2. धनजी सिंह पिता- स्वर्गीय दिनेश सिंह गांव-मोहन तोला, थाना-पीरो, जिला-भोजपुर।
3. कमलेश सिंह पिता- स्वर्गीय महेश सिंह गांव-मोहन तोला, थाना-पीरो, जिला-भोजपुर।
4. नार्गेद्र सिंह पिता- स्वर्गीय दुर्गा सिंह ग्राम-नाथमलपुर, थाना-बरहरा, जिला-भोजपुर।

..... उत्तरदाता/गण

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए	:	श्री मनोज कुमार, अधिवक्ता श्री शशि शंकर सिंह,
प्रत्यर्थियों के लिए अधिवक्ता-राज्य	:	श्री मुकेश्वर दयाल, एपीपी
सूचना देने वाले के लिए	:	श्री मनोज कुमार सिंह, अधिवक्ता

अपील- उस दोषमुक्ति के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं 307, 341, 325 पढ़ने के साथ 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया था। हालांकि, एक आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया और तदनुसार, उसे चेतावनी देकर मुक्त कर दिया गया।

निर्णय- चोटों की रिपोर्ट सूचनाकर्ता की गवाही का समर्थन नहीं करती है। (पैरा 14)

अभियोजन पक्ष के एक गवाह (सूचनाकर्ता का भाई) ने गवाही से पलटकर घटना का समर्थन नहीं किया। (पैरा 16)

इस मामले के जांच अधिकारी को परीक्षण के दौरान जांच नहीं किया गया। (पैरा 17)

ट्रायल कोर्ट ने सही रूप से अभियुक्तों को संदेह का लाभ दिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के खिलाफ मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। (पैरा 18)

अपील अदालत को दोषमुक्ति के मामले में यह ध्यान रखना चाहिए कि आरोपी के पक्ष में दोहरी संभावना है। पहली, निर्दोष होने की संभावना उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मौलिक सिद्धांत के तहत प्राप्त है, कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक उसे सक्षम अदालत द्वारा दोषी साबित न कर दिया जाए। दूसरी, आरोपी ने अपनी दोषमुक्ति प्राप्त की है, तो उसके निर्दोष होने की संभावना और अधिक सुदृढ़, पुनः पुष्टि और मजबूत हो जाती है। इसके अलावा, यदि रिकॉर्ड पर सबूतों के आधार पर दो संभावित निष्कर्ष सामने आते हैं, तो अपील अदालत को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई दोषमुक्ति के निष्कर्ष को प्रभावित नहीं करना चाहिए। (पैरा 20)

अपील खारिज की जाती है। (पैरा 22)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा

मौखिक निर्णय

तारीख: 09-07-2024

वर्तमान अपील भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 372 के तहत दायर की गई है, जिसमें मूल सूचनादाता द्वारा 22.11.2022 को आरा

बिहार के 17 वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित बरी करने के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील की गई है। यह अपील चंडी पुलिस स्टेशन मामला संख्या 154 वर्ष 2010 से उत्पन्न हुई है, जिसमें आरोपी व्यक्तियों-उत्तरदाताओं को संख्या 2 से 4 को बरी कर दिया गया है और उन पर भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 307, 341, 325 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया था, लेकिन उन्हें संदेह का लाभ दिया गया था। हालांकि, आरोपी उत्तरदाता संख्या 4, नागेंद्र सिंह को आईपीसी की धारा 323 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और उन्हें फटकार के साथ बरी कर दिया गया।

2. याचिकाकर्ता-सूचक की ओर से श्री मनोज कुमार, विद्वान वकील, राज्य-उत्तरदाता की ओर से श्री मुकेश्वर दयाल, विद्वान एपीपी और निजी उत्तरदाता संख्या 2 से 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार सिंह, को सुना।

3. अभियोजन की कहानी, संक्षेप में, यह है कि सूचक-याचिकाकर्ता /अ.सा.-3 ने 10.07.2010 को दोपहर 2:40 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पीरो में इलाज के दौरान बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह पीरो के गतर पुल के पास पेड़ को देखने के बाद आ रहे थे और दोपहर 2:15 बजे, आरोपी निजी उत्तरदाता, अर्थात् कमलेश सिंह, धनजी सिंह, शिशुकांत उर्फ छोदू, नागेंद्र सिंह मोटरसाइकिल पर आए और सूचक-याचिकाकर्ता को घेर लिया और धनजी सिंह ने दाहिने छाती पर गोली चलाई और कमलेश सिंह ने भी गोली चलाई, लेकिन वह सूचक-याचिकाकर्ता को नहीं लगी। आरोपियों ने छोदू, नागेंद्र सिंह ने मुक्का और थप्पड़ मारा। इसके बाद, वे मोटरसाइकिल पर भाग गए। सूचना के बाद, पीरो पुलिस वहां पहुंची और सूचक-याचिकाकर्ता को पीरो अस्पताल ले गई, जहां उनका इलाज चल रहा था और उनका बयान दर्ज किया गया था।

4. उपरोक्त बयान के आधार पर, औपचारिक प्राथमिकी पीरो पुलिस स्टेशन मामला संख्या 154 वर्ष 2010 के रूप में दर्ज की गई और जांच

अधिकारी ने जांच की, जिसके दौरान जांच अधिकारी ने गवाहों के बयान दर्ज किए और दस्तावेजी साक्ष्य इकट्ठा किए। जांच समाप्त होने के बाद, जांच अधिकारी ने उत्तरदाता-आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 325 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप-पत्र दायर किया।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने जांच के दौरान इकट्ठे किए गए सामग्री के आधार पर, आरोपी उत्तरदाता संख्या 2 से 4 के खिलाफ 08.02.2013 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307, 323, 325 और 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत आरोप तैयार किए।

6. विचारण न्यायालय के समक्ष, अभियोजन पक्ष ने पांच अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य लिया है जो इस प्रकार हैं:- (i) अ.सा.-1 कमलेश्वर शर्मा (सूचक के भाई); (ii) अ.सा.-2 विजय शर्मा (सूचक के पुत्र); (iii) अ.सा.-3 समहुत शर्मा (इस मामले के सूचक); (iv) अ.सा.-4, श्यामानंद शर्मा (सूचक के पुत्र); और (v) डॉ. राजीव कुमार।

7. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों/प्रदर्शनियों को भी प्रस्तुत किया है:

क्रम सं.	प्रदर्श/दस्तावेज	दस्तावेजों के नाम
1	प्रदर्श-1	फर्दब्यान पर सूचना देने वाले के हस्ताक्षर।
2	प्रदर्श-2	सूचना देने वाले की चोट की रिपोर्ट।

8 धारा 313 के तहत अभियुक्त प्रतिवादियों का आगे का बयान दर्ज किया गया। ट्रायल के समापन के बाद, ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी संख्या 4 अर्थात् नागेंद्र सिंह को छोड़कर निजी प्रतिवादियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। जिसके खिलाफ अपीलकर्ता-सूचनाकर्ता ने वर्तमान अपील पेश की है।

9. इसलिए, वर्तमान अपील।

10. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने यह तर्क दिया है कि पीडब्ल्यू-1 कमलेश्वर शर्मा (सूचितकर्ता के भाई) को छोड़कर, अन्य गवाह, अर्थात् अ.सा.-2, अ.सा.-3 (सूचक) और अ.सा.-4 ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है।

11. याचिकाकर्ता के वकील ने मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए बरी करने के निर्णय और आदेश को इस आधार पर चुनौती दी जा रही है कि अ.सा.-3, जो सूचितकर्ता और घायल है, ने विशेष रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया था कि उन्हें उत्तरदाता/आरोपी संख्या 2 से गोली की चोट लगी थी। यह आगे कहा गया है कि जिरह के दौरान उनके उक्त बयान पर संदेह करने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया था। विचारण न्यायालय ने बरी करने के आदेश को दर्ज करते समय इस महत्वपूर्ण पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। यह आगे कहा गया है कि सूचितकर्ता/घायल/अ.सा.-3 के अलावा, अ.सा.-2, विजय शर्मा, जो सूचितकर्ता के पुत्र हैं, ने भी घटना का समर्थन किया और कहा कि उनके पिता, अर्थात् अ.सा.-3, को उनकी छाती पर गोली की चोट लगी थी। यह आगे कहा गया है कि अ.सा.-4, जो सूचितकर्ता/अ.सा.-3 के पुत्र भी हैं, ने विशेष रूप से ट्रायल के दौरान अपनी मुख्य परीक्षा में यह बयान दिया था कि उनके पिता/अ.सा.-3 ने उनसे कहा था कि जब वह लकड़ी का शिल्ली खरीदने गए थे, तो तीनों उत्तरदाता/आरोपी व्यक्ति उन्हें घर लिया था, और इसके बाद उत्तरदाता संख्या 2, धनजी सिंह ने उनकी दाहिनी छाती पर गोली चलाई थी। यह आगे कहा गया है कि डॉक्टर को अ.सा.-5 के रूप में परीक्षित किया गया था, जिन्होंने चोट की रिपोर्ट को साबित किया था, जिसे प्रदर्श संख्या 2 के रूप में ट्रायल के दौरान चिह्नित किया गया था। यह आगे कहा गया है कि अभियोजन के गवाहों के बयानों के मद्देनजर, **"मृत्यु का कारण बनने का इरादा"**, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला बनाने के लिए प्राथमिक विचार है, ट्रायल के दौरान स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया था, क्योंकि गोलीबारी सूचितकर्ता/अ.सा.-3 की दाहिनी छाती पर की गई थी, लेकिन उक्त तथ्य को ट्रायल कोर्ट द्वारा पूरी तरह से

नजरअंदाज कर दिया गया था। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि वर्तमान अपील को स्वीकार किया जाना चाहिए और इस प्रकार, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

12. दूसरी ओर, विद्वान एपीपी ने भी याचिकाकर्ता/सूचितकर्ता के वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों का समर्थन किया है। हालांकि, विद्वान एपीपी ने यह तर्क दिया है कि अभी तक राज्य ने संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त बरी करने के निर्णय और आदेश के खिलाफ अपील नहीं की है।

13. श्री मनोज कुमार सिंह, उत्तरदाता-आरोपियों की ओर से पेश हुए विद्वान वकील ने वर्तमान अपील का विरोध करते हुए यह तर्क दिया है कि अ.सा.-2 और अ.सा.-3 घायल/सूचितकर्ता अर्थात् अ.सा.-3 के पुत्र हैं और वे एक हितबद्ध गवाह प्रतीत होते हैं। यह आगे कहा गया है कि दोनों गवाह सुनी-सुनाई बातों पर आधारित हैं और वे वास्तविक घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं। यह आगे कहा गया है कि यदि अ.सा.-3/सूचितकर्ता के बयान को उसके चेहरे पर विश्वास किया जाए, तो निश्चित रूप से उनकी दाहिनी छाती पर आग्नेयास्त्र की चोट के प्रवेश और निकास घाव उपलब्ध होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यह आगे कहा गया है कि चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श संख्या 2), जिसे अ.सा.-5, डॉ. राजीव कुमार द्वारा ट्रायल के दौरान साबित किया गया था, उसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि कथित चोट आग्नेयास्त्र से हुई थी, और इसलिए पूरा आरोप निराधार है, और इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश में कोई अस्पष्टता नहीं है, और इसलिए, उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

14. मैंने याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए विद्वान वकील, विद्वान एपीपी और उत्तरदाताओं की ओर से पेश हुए विद्वान वकील द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है। मैंने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों की प्रति का भी अवलोकन किया है।

रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि अ.सा.-1 और अ.सा.-2 सूचितकर्ता/घायल/अ.सा.-3 के पुत्र हैं और वे कथित गोलीबारी की वास्तविक

घटना के चश्मदीद गवाह प्रतीत नहीं होते हैं। अ.सा.-3/सूचितकर्ता/घायल के बयान से यह पता चलता है कि आरोपी/उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा उनकी दाहिनी छाती पर गोलीबारी की गई थी, लेकिन प्रदर्श संख्या 2 के अवलोकन से, जिसे अ.सा.-5 द्वारा साबित किया गया था, यह कहीं नहीं पता चलता है कि उनकी दाहिनी छाती पर ऐसी कोई गोली की चोट लगी थी।

15. यह उचित होगा कि अ.सा.-5 द्वारा जारी की गई चोट की रिपोर्ट (प्रदर्श संख्या 2) को पुनः उत्पादित किया जाए, जो इस प्रकार है:

- "(i) दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र में 2 इंच x ½ इंच x ½ इंच का लेसरेटेड घाव।*
- (ii) दाहिने एक्सिलरी क्षेत्र के पास 3 इंच x ½ इंच x ½ इंच का लेसरेटेड घाव।*
- (iii) पहचान का चिह्न - छाती पर एक तिल।*
- (iv) चोट की उम्र - 1 घंटे के भीतर।*
- (v) राय - राय संख्या 1 और 2 आरक्षित, मरीज को आवश्यक उपचार के लिए आरा के सदर अस्पताल में भेजा गया। इसलिए, आगे की रिपोर्ट आने तक राय आरक्षित है।"*

16. इसलिए, यह स्पष्ट है कि अ.सा.-1, जो अ.सा.-3 का अपना भाई है, ने मुकदमे के दौरान अपना बयान बदल दिया और घटना की पुष्टि नहीं की, जो अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है।

17. अभिलेख के अवलोकन से, यह पता चलता है कि इस मामले के जांच अधिकारी को मुकदमे के दौरान परीक्षित नहीं किया गया था। अ.सा.-5, डॉक्टर ने कहीं भी प्रदर्श संख्या 2, अर्थात् अ.सा.-3 की चोट की रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि अ.सा.-3 की दाहिनी छाती पर कोई आग्नेयास्त्र की चोट पाई गई थी, बल्कि यह पता चलता है कि दाहिने स्कैपुलर क्षेत्र और दाहिने एक्सिलरी क्षेत्र में एक लेसरेटेड घाव पाया गया था। उक्त घाव आग्नेयास्त्र की चोट से होने की संभावना नहीं है, जो यह आरोप खारिज करता है कि अ.सा.-3 को उत्तरदाता/आरोपी संख्या 2 द्वारा उनकी दाहिनी छाती पर गोली की चोट लगी थी। इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत अपराध के लिए "मृत्यु का कारण बनने का इरादा" के मूल तत्वों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं है।

18. मैंने विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए तर्कों का भी अवलोकन किया है और मेरा विचार है कि विचारण न्यायालय ने उत्तरदाता-आरोपी को संदेह का लाभ देने में सही निर्णय लिया है, क्योंकि अभियोजन पक्ष उत्तरदाता-आरोपियों के खिलाफ मामला साबित करने में युक्तियुक्त संदेह से परे विफल रहा है।

19. इस चरण में, मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चंद्रप्पा और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहूंगा, जो (2007) 4 एससीसी 415 में प्रकाशित हुआ था। इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 42 में बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित किया है। इसने निम्नलिखित के रूप में टिप्पणी की:

"42. उपरोक्त निर्णयों से, हमारे विचार में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य सिद्धांत उभरे हैं:

(1) अपीलीय न्यायालय को बरी करने के आदेश पर आधारित साक्ष्य की पूरी तरह से समीक्षा, पुनर्मूल्यांकन और पुनर्विचार करने की शक्ति है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 इस शक्ति के प्रयोग पर कोई सीमा, प्रतिबंध या शर्त नहीं रखती है और अपीलीय न्यायालय अपने सामने मौजूद साक्ष्य के आधार पर तथ्यों और कानून के प्रश्नों पर अपना निष्कर्ष निकाल सकता है।

(3) "महत्वपूर्ण और मजबूत कारण", "अच्छे और पर्याप्त आधार", "बहुत मजबूत परिस्थितियां", "विकृत निष्कर्ष", "चौंकाने वाली गलतियां" आदि जैसे विभिन्न अभिव्यक्तियां अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को सीमित करने के लिए नहीं हैं। ये शब्दावली अधिक अपीलीय न्यायालय द्वारा बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा पर बल देने के लिए "भाषा के फूल" की प्रकृति में हैं।

(4) अपीलीय न्यायालय को यह ध्यान रखना चाहिए कि बरी करने के मामले में, अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत निर्दोष माना जाता है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी बरी करने की सुरक्षा हासिल की है, उसकी निर्दोषता की धारणा न्यायालय द्वारा और मजबूत की गई है।

(5) यदि साक्ष्य के आधार पर दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए।"

20. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त टिप्पणी से, यह कहा जा सकता है कि एक अपीलीय न्यायालय को बरी करने के मामले में यह ध्यान

रखना चाहिए कि अभियुक्त के पक्ष में दोहरी धारणा है। सबसे पहले, उसे आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत के तहत निर्दोष माना जाता है कि हर व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता। दूसरे, अभियुक्त ने अपनी बरी करने की सुरक्षा हासिल की है, उसकी निर्दोषता की धारणा न्यायालय द्वारा और मजबूत की गई है। इसके अलावा, यदि साक्ष्य के आधार पर दो युक्तिसंगत निष्कर्ष संभव हैं, तो अपीलीय न्यायालय को न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए बरी करने के निष्कर्ष को परेशान नहीं करना चाहिए। यह सिद्धांत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के मामले में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों को निर्देशित करता है।

21. सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, मेरा विचार है कि विचारण न्यायालय ने विवादित आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की है, और इसलिए वर्तमान अपील में कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

22. तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

23. यदि कोई एल. सी. आर., है, तो इस निर्णय की प्रति के साथ विद्वत विचारण न्यायालय को वापस दिया कर दिया जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

संजीत/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।